अनुदान संख्या 65 – खान मंत्रालय
GRANT No. 65 - MINISTRY OF MINES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*5,00*	*1,86*	*- 3,14*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1899,25,00	1994,27,00	1323,73,79	-670,53,21
पूरक	Supplementary	95,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				666,86,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		170,22,00	73,34,47	-96,87,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				96,52,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹67053.21 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹9502.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹67053.21 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹9502.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 34 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat -Economic Services				
मू.	O.	4358.00			
			3005.20	2994.41	-10.79
पु.	R.	-1352.80			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5838.00			
			..	..	..
पु.	R.	-5838.00			
मुख्य शीर्ष "2853"	Major Head "2853"				
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	179729.00			
पू.	S.	9502.00	129735.80	129379.38	-356.42
पु.	R.	-59495.20			

(I) ₹6001.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹5152.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – निदेशन और प्रशासन – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹6001.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹5152.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Geological Survey of India – Direction and Administration - Geological Survey of India Activities" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2853" "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2853" - "Geological Survey of India" - remained unutilised under the following heads to the extent shown against each :-

(का) "सर्वेक्षण और मानचित्रण – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹7555.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10055.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, वाहनों की आउटसोर्सिंग होने, लंबित बिलों की संख्या कम होने और अपर्याप्त निधियों की वजह से शिपिंग कॉपरेशन ऑफ इंडिया के कुल बैच की तिमाही भुगतान की मंजूरी न होने के कारण ₹2250.59 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Survey and Mapping – Geological Survey of India Activities" – the original provision of ₹7555.00 lakhs was augmented to ₹10055.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2500.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2250.59 lakhs - due to outsourcing of vehicles, less number of pending bills and non-clearance of full batch of quarterly payment to Shipping Corporation of India owing to insufficient funds

(खा) "अन्य व्यय – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹4610.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2630.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7240.00 लाख कर दिया गया था जो, तथापि ₹1073.55 लाख की सीमा तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों को पूरा न किए जाने, ऑनलाइन कोर वाणिज्य एकीकृत प्रणाली के संबंध में परिवर्तन संबंधित अनुरोध को पूरा करने में विलंब होने एवं विक्रेता द्वारा सामग्री की अपूर्ति न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) "Other Expenditure – Geological Survey of India" – the original provision of ₹4610.00 lakhs was augmented to ₹7240.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2630.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1073.55 lakhs - due to non-completion of work by Central Public works Department, delay in completion of change request relating to Online Core Business Integrated System and non-supply of material by the vendor.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – खान मंत्रालय" – ₹1363.59 लाख की बचत (₹4358.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरें जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी कम दावों की प्राप्ति होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat-Ministry of Mines" – saving of ₹1363.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4358.00 lakhs) was due to non-filing up of vacant posts, receipt of less claims towards medical reimbursement and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "2853" – "खानों का विनियमन और विकास" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(IV) Under Major Head "2853" – "Regulation and Development of Mines"- savings occurred under the following heads:-

(का) "खनिज अन्वेषण – राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि कार्यकलाप" – ₹31161.35 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹40001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के निर्धारित कार्यक्रम में विलंब होने, ओजीपी क्षेत्र परियोजना के वायु भूभौतिकी के फेज–II एवं फेज–III के पांच ब्लॉकों का संचालन न होने और एनएमइटी के बदले जीएसआई के बजट से यात्रा भत्ता का निपटान होने के कारण हुई।

(A) "Mineral Exploration – National Mineral Exploration Trust Fund Activities" – saving of ₹31161.35 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹40001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to delay in scheduled completion of the projects, non-operationalization of five blocks of phase II and phase III of Aero-geophysical survey of OGP are as project and settlement of travelling allowance and dearness allowances expenses from the budget of GSI instead of NMET.

(खा) "खान ब्यूरो" –

(क) "भारतीय खान ब्यूरो" – ₹579.82 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹8827.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और छुट्टी यात्रा रियायत संबंधित कम दावों की प्राप्ति होने, संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नति बकाया, छुट्टी नकदीकरण, यात्रा भत्ता अंतरण एवं चिकित्सा अग्रिम/प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण हुई।

(ख) "भारतीय खान ब्यूरो कार्यकलाप" – ₹1568.82 लाख की बचत (₹3458.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीकरण कार्य का निष्पादन न किए जाने, खनन प्रणाली के अंतर्गत विक्रेताओं को कम भुगतान किए जाने के कारण, प्रशिक्षण प्रस्तावों की कम संख्या होने एवं एनआरएससी लेब के लिए सॉफ्टवेयर और जीइएम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर उपकरण की अधिप्राप्ति को मूर्त रूप न दिए जाने के करण हुई।

(गा) "आरक्षित निधियों का अंतरण – राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधियों का अंतरण" – ₹28000.00 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "ओजीपी क्षेत्रों के वायु भूभौतिकी" परियोजना के फेज–II एवं फेज–III के पांच ब्लॉकों का संचालन न होने की वजह से एनएमइटी के लोक लेखा निधियों को अंतरण न किए जाने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹497.03 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4277.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – निदेशन और प्रशासन – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को

(B) "Bureau of Mines" -

(a) "Indian Bureau of Mines" - saving of ₹579.82 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8827.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards leave travel concession, Modified Assured Career Progression Scheme arrear, leave encashment, transfer travelling allowance and medical advance/reimbursement.

(b) "Indian Bureau of Mines Activities"- saving of ₹1568.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3458.00 lakhs) was due to non-execution of renovation work by Central Public Works Department, less payment to vendors under Mining Tenement System, less number of training proposals and non-materialization of procurement of software for NRSC lab and other computer equipment through GeM.

(C) "Transfer to Reserve Funds – Transfer to National Mineral Exploration Trust Funds" – saving of ₹28000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to non-transfer of funds to Public Account of NMET owing to non-operationalisation of the work relating to five blocks of Phase II and Phase III of "Aero-geophysical survey of OGP areas" project.

(V) Under one head saving of ₹497.03 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹4277.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under "Geological Survey of India - Direction

पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹4246.10 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2853" – "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – निदेशन और प्रशासन – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" के अंतर्गत ₹749.51 लाख का अधिक व्यय (₹1310.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹5671.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और दृश्यता गतिविधि गुणवत्ता से संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों/आधिकारिक बैठकों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

and Administration - Geological Survey of India". Actual excess, however, was ₹4246.10 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2853" - "Geological Survey of India - Direction and Administration - Geological Survey of India Activities" – excess of ₹749.51 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5671.00 lakhs including supplementary grant of ₹1310.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and increase in field activities/official meetings related to Visibility Activity Quality (VAQ).

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4853" अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	16752.00	7370.00	7334.47	-35.53
पु.	R.	-9382.00			

(I) ₹270.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षो के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹270.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) "खनिज अन्वेषण और विकास – अन्य व्यय – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹9415.53 लाख की बचत (₹16700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जियो टेक्नीकल वेसल संविदा के समाप्त होने के कारण हुई।

(II) Under "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure - Geological Survey of India Activities" - saving of ₹9415.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16700.00 lakhs) was due to termination of Geo Technical Vessel Contract.